

फद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामसर व मुकाम रामसर  
 कामल वगैरे बनाम फता वगैरे

4/12

13/12

31/12

अधी 31/12/25

यु. न. न. न. न. न.

31/12/25

पुनः दर्ज प्रार्थनापत्र

किस्म मुकदमा टी.पी.डी. वद्वै पुनः बरामुद मुकदमा नम्बर 180/24...../2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/11/24	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>मदन सिंह राव</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>टी.पी.डी. वद्वै पुनः बरामुद</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>04/12/24</u> को पेश हो। 21/11/24	
4/12/24	पत्रावली काज पेश हुई वद्वै वकील उपर। प्रतिवादी का उत्तर देकर पत्रावली काईदा दिनांक 13/12/24 को पेश हो। 4/12/24	
13/12/24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रश्नकारान वकील पंजाबीन अधिकारी महोदय दीगर कार्य में व्यस्त/मुद्रालय से बाहर होने से पत्रावली आगन्तु दिनांक 31/12/25 को पेश हो। 13/12/24	
31/12/25	पत्रावली काज पेश हुई प्रार्थी व विपार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थनापत्र पर लखस दुनीगरी प्रार्थनापत्र लखस दुनीगरी प्रार्थनापत्र खीकाट किया जाकर मूल पत्रावली पुनः बरामुद की जाकर पत्रावली को इतरला वेड नोखि जाटी कर शामीय मूल पत्रा- वली होकर इकर प्रार्थनापत्र केवल खीकाट कर नव वेकम होकर वकन मूल पत्रावली हो। 31/12/25	